Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अंज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

जसप्रीतकौर आदि बनाम रोबिनजीत सिंह आदि

किस्म मुकदमा :– 212 आर.टी.एक्ट

नं. मुकदमा......131....../2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.07.2021	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता श्री कुलदीप गौड़ द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिश्ते की होकर प्रस्तुत होने पर अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। इसके पश्चात् वकील प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र पर इकतरफा बहस सुना गया। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है आपस में पति–पत्नि का रिश्ता है । अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से महाजन तहसील के रोही ग्राम बालादेसर खसरा नम्बर 23 में 5.3100 हैक्टेयर खसरा नम्बर 428/55 में 1.0100 हैक्टेयर कुल 6.32 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि हैं। प्रार्थीनी संख्या 1 एवं अप्रार्थी संख्या 1 में आपस में पति–पत्नि का रिश्ता है जिनकी शादी वर्ष 2005 में हुई थी शादी के वक्त प्रार्थीनी के माता पिता ने जो दहेज, स्त्रीधन सोना चान्दी गहने नगदी रूपयें व अन्य सामान दिया था उनको बेच कर अप्रार्थी संख्या 1 ने लूनकरनसर तहसील हाल तहसील महाजन के ग्राम बालादेसर की रोही में उक्त पैरा संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि नवम्बर 2011 में खरीद कि थी पारिवारिक व्यवस्था में उक्त रकबा प्रार्थीनी के नाम से खरीद किया जाना था अप्रार्थी संख्या 1 जो कि शराबी नशीली प्रवृति का व्यक्ति है जो कि प्रत्येक प्रकार का नशा करता हैं। प्रार्थीयां कृषि भूमि में पुराने समय से चले आ रहे कब्जा व काश्त के अनुसार दिनांक 01.07.2021 को सूड़ व कृषि कार्य कर रही थी दोपहर मे अप्रार्थी संख्या 1 के साथ तीन–चार अन्य व्यक्ति एकराय होकर एक साथ खेत कि सीव पर आ गये और अप्रार्थी संख्या 1 ने कहा कि मेरे को नशा करने के लिये रूपयों की बहुत जरूरत है मैने उक्त कृषि भूमि दलालों के माध्यम से पंजाब के व्यक्तियों को जरिये इकरारनामा विक्रय कर दी है और जल्दी ही इसका बैनामा करवा दूंगा तुम्हे जबरदस्ती मारपीट कर बेदखल कर दिया जावेगा । उक्त धमकी से जोत पर अप्रत्यासित आकमण हुआ है और वाद कारण हासिल हुआ हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। हमने प्रस्तुत दस्तावेज व प्रार्थनापत्र के तथ्यों पर गौर किया। एक तरफा बहस व शपथपत्रों पर विश्वास करते हुए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण खिलाफ अप्रार्थीगण संख्या 1 आगामी तारीख पेशी तक वादग्रस्त आराजी मौजा रोही ग्राम बालादेसर खसरा नम्बर 23 में 5.3100 हैक्टेयर खसरा नम्बर 428/55 में 1.0100 हैक्टेयर कुल 6.32 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि का बेचान/हस्तांतरण नहीं करें। राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति (as on Today) बनाये रखें। प्रार्थी सीपीसी आदेश 39 नियम 3 की पालना करें। यह आदेश DILRMP एवं भारतमाला प्रोजेक्ट से सम्बन्धित भूमि एवं रास्तों के सम्बन्ध में प्रभावी नहीं होंगे। इस सम्बन्ध में कोई आपति अप्रार्थीगण को हो तो वे आगामी तारीख पेशी पर स्वयं या अपने वकील के जरिये उपस्थित होकर अपना एतराज प्रस्तुत करें। तहरीर अलग से जारी होकर पत्रावली वास्ते तलबी आइन्दा दिनांक 18.08.2021 को पेश हो। [signature] 06/7/2021	रजि. नोटिस जारी 1883 06-7-21
19/07/21	पत्रावली आज प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर पेश हुई। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि लोक अदालत की मालक से दोनों पक्षकारो में आपसी सहमति द्वारा राजीनामा हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया। तस्दीक [illegible] द्वारा की [illegible] पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इसी स्तर पर जरिये [illegible] खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] 19/7/2021 उप खण्ड अधिकारी लूणकरणसर	[signature] Adv.

उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.08.10 14:07:39 IST
Reason: SelfAttested